जिला कलैक्टर 91/18

अपील सूचना अधिकार संख्या 91/2017 अनवानी श्री प्रमोद कुमार नायक पुत्र श्री सोहन लाल निवासी करनपुर रोड़, वार्ड न0 12, नजदीक शिव मन्दिर, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर बनाम बनाम लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) एवं कार्यपालक मजि0, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26–12–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रमोद कुमार नायक उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से श्री मदनलाल व0लि0 उपस्थित है। श्री मदन लाल द्वारा तहसीलदार (राजस्व) का प्रतिवेदन संख्या 3997 दिनांक 26.12.2017 प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी श्री प्रमोद कुमार नायक का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 23.11.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से 4 बिन्दुओ की सूचना चाही थी जो उनके द्वारा उसे संतापित, अभित्रस्त व परेशान करने की नीयत से जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही की जावे।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निश्चित नही है और प्रश्नात्मक रूप में है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना तैयार कर दिये जाने का कोई प्रावधान नही है। इस संबंध में अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र संख्या 3703 दिनांक 27.11.2017 के द्वारा सूचित भी किया जा चुका है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रमोद कुमार नायक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.11.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) एवं कार्यपालक मजि0 श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. सुरजभान जी के कार्यालय में हुई कृषि का सहपरिवर्तन की जानकारी व प्रमाणित प्रति देवें।
2. आज दिनांक तक 2 एमएल, 4 एमएल, 11 एलएनपी पटवार मण्डल में कितने सहपरिवर्तन किये गये मुरब्बा नम्बर, किला न0 की जानकारी देवें प्रमाणित प्रति सहित।
3. सहपरिवर्तन भूमि पर हाईटेन्शन विद्युत लाईनो की जानकारी व खम्भे लगे की जानकारी मुरब्बा, बीगा नम्बर सहित प्रमाणित प्रति देवें।
4. कृषि भूमि सहपरिवर्तन होने से पूर्व कितन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मौका देखा जाता है पद नाम की जानकारी देवें।

अपीलार्थी के अपील पत्र तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 3997 दिनांक 26.12.2017 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी श्री प्रमोद कुमार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना प्रश्न वाचक है जो इस अधिनियम के तहत उपलब्ध नही करवाई जा सकती है। इस संबंध में प्रार्थी को पत्र सं0 राजस्व/17/3704 दिनांक 27.11.2017 के द्वारा सूचित कर दिया गया था।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 3704 दिनांक 27.11.2017 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा प्रासांगिक पत्र में चाही गई सूचना प्रश्न वाचक सूचनांए है जो तैयार करके सूचना के अधिकार के तहत तैयार कर नही दी जा सकती। अतः आप कार्यालय समय में उपस्थित हो कर रिकार्ड का अवलोकन कर कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार प्राप्त कर सकते है।

अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निश्चित नही है और प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। **सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। सूचना एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध करवाया जाना वर्जित है।** इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 27.11.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर उसमें से कोई सूचना लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2241-42
03.01.18

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर